



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस  
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 15/2014

**प्रार्थी**

भरतसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह  
जाति राजपूत, निवासी ग्राम  
भगासनी, तहसील बिलाड़ा  
जिला जोधपुर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह
2. वीरेन्द्रसिंह पुत्र श्री नाथुसिंह  
जातियान राजपूत, निवासीगण  
भगासनी, तहसील बिलाड़ा  
जिला जोधपुर
3. शिवकंवर पुत्री श्री नाथुसिंह पत्नी  
स्व. श्री सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत  
निवासी ग्राम बरडिया गोयल,  
तहसील जावरा जिला रतलाम  
मध्यप्रदेश
4. कल्याणकंवर पुत्री श्री नाथुसिंह  
पत्नी स्व. श्री राजेन्द्रसिंह खीची  
जाति राजपूत, निवासी ग्राम  
सिरसा तहसील सिरसा, हरियाणा
5. वैद्यवंतीकंवर पुत्री श्री नाथुसिंह  
पत्नी श्री गुमानसिंह देवल जाति  
राजपूत निवासी ग्राम  
राजीकावास, तहसील  
जसवन्तपुरा, जिला जालौर
6. हेमलता कंवर पुत्री श्री नाथुसिंह  
पत्नी श्री महावीरसिंह सोड़ा  
जाति राजपूत निवासी ग्राम  
इटवाया तहसील सिवाना जिला  
बाड़मेर
7. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार बिलाड़ा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

निर्णय

दिनांक :- 26.05.2017

पत्रावली आज अटल सेवा केन्द्र कोर्ट केम्प सम्बाडिया में प्रस्तुत हुई।  
वकुलाय फरीकेन उपस्थित प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3, 7 को जरिये  
रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन जारी करने का आदेश दिनांक 26.05.2014 को दिया गया।  
जिसकी पालना में प्रार्थी अधिवक्ता ने कोई नोटिस भरकर पेश नहीं किये तो प्रार्थी  
अधिवक्ता को तारीख पेशी 18.07.2016 को अप्रार्थी संख्या 3, 7 के पुनः रजिस्टर्ड ए.  
डी. नोटिस भेजे जाने का आदेश दिया गया अप्रार्थी संख्या 3 का नोटिस अदम तामिल  
होकर लौटा व अप्रार्थी संख्या 7 का नोटिस तामिल होकर प्राप्त नहीं हुआ। तारीख  
पेशी 09.01.2017 को प्रार्थी अधिवक्ता को अप्रार्थी संख्या 3, 7 के नोटिस पुनः पेश

करने के आदेश दिये गये, फिर भी प्रार्थी अधिवक्ता ने सात दिन के भीतर नये सम्मन पुनः भरकर पेश नहीं किये है इस कारण प्रार्थी का सम्मन पेश करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा